



राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING

आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित/ISO 9001 : 2008 Certified

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)
(An autonomous Institution under Deptt. of SE&L, Ministry of Education (MoE), Govt. of India)

F-98-64/NIOS/VED/Integration/2021

Dated: 3rd December, 2021

NOTIFICATION -37/2021

In order to move in sync with the NEP 2020 and to equip the learners with a skill along with the academic qualification, the following are decided:

1. The learners taking online admission for Secondary and Senior Secondary will be offered one vocational subject along with academic subjects from the next Academic session 2021-22 Stream I block 2.
2. The vocational subject will be one of the five subjects required for certification compulsorily at Secondary level.
3. The vocational subject will be one of the five subjects or as one additional subject compulsorily at Senior Secondary level.
4. The three Vocational areas i.e., Home Science & Hospitality, Yoga and Computer & Information Technology will be considered as academic subjects for the purpose of calculation of admission fee as per NIOS norms and will be offered in the same Accredited Institution (AI).
5. However, for other Vocational courses being selected by the learners in integration with academic subjects, the NIOS share of the subject will be subsumed in the fee of the academic admission and the AVI share will be paid by the learner to the concerned AVI.
6. Geo mapping of AI and AVI will be done for the purpose of selection of AVI for vocational course by the learners in the same district.

All the Regional Directors are requested to upload this notification at the Regional Centre website, inform all AIs and AVIs regarding this Notification and also issue press release in the local dailies.

This is issued with the approval of the competent authority.


S.K. Prasad

Director (Vocational Education)

Distribution:

1. PA to CP – for information of Hon'ble Chairperson
2. All HoDs
3. All Regional Directors (for information and necessary action)
4. SAP for doing the needful and uploading on NIOS portal.
5. JD (VE)
6. DD (VE) I & II
7. PRO – for electronic, social and print media
8. Guard File



राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING

आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित/ISO 9001 : 2008 Certified

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)
(An autonomous Institution under Deptt. of SE&L, Ministry of Education (MoE), Govt. of India)

F-98-64/NIOS/VED/Integration/2021

दिनांक: 3 दिसंबर, 2021

अधिसूचना -37/2021

एन.ई.पी 2020 को ध्यान में रखते हुए और शिक्षार्थियों को शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

1. माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक में ऑनलाइन प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थियों को अगले शैक्षणिक सत्र 2021-22 स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 से शैक्षणिक विषयों के साथ एक व्यावसायिक विषय उपलब्ध कराया जाएगा।
2. व्यावसायिक विषय, माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य रूप से प्रमाणन के लिए आवश्यक पांच विषयों में से एक होगा।
3. वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक विषय पांच विषयों में से एक अथवा अनिवार्य रूप से एक अतिरिक्त विषय के रूप में होगा।
4. एनआईओएस मानदंडों के अनुसार प्रवेश शुल्क की गणना के उद्देश्य से तीन व्यावसायिक क्षेत्रों अर्थात् गृह विज्ञान और आतिथ्य, योग और कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी को शैक्षिक विषय माना जाएगा और उसी मान्यता प्राप्त संस्थान (ए.आई) में उपलब्ध कराया जाएगा।
5. हालांकि, शैक्षणिक विषयों के साथ एकीकरण में शिक्षार्थियों द्वारा चुने जा रहे अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए, एनआईओएस की फीस के हिस्से को शैक्षिक प्रवेश के शुल्क में शामिल किया जाएगा और ए.वी.आई शेयर का भुगतान शिक्षार्थी द्वारा संबंधित ए.वी.आई को किया जाएगा।
6. उसी जिले में शिक्षार्थियों द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए एवीआई के चयन के उद्देश्य से एआई और एवीआई की जियो मैपिंग की जाएगी।

सभी क्षेत्रीय निदेशकों से अनुरोध है की वे इस अधिसूचना को क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट पर अपलोड करें और सभी ए.आई और ए.वी.आई को सूचित करें तथा स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करें।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एस.के. प्रसाद

निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा)

वितरण:

1. अध्यक्ष के निजी सचिव - माननीय अध्यक्ष की जानकारी के लिए
2. सभी विभागाध्यक्ष
3. सभी क्षेत्रीय निदेशक (सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु)
4. एसएपी - आवश्यक कार्य हेतु और एनआईओएस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए।
5. संयुक्त निदेशक (व्यावसायिक)
6. उप निदेशक (व्यावसायिक) - I और II
7. जनसंपर्क अधिकारी - इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और प्रिंट मीडिया के लिए
8. गार्ड फाइल